स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रस नोट संख्याः 266, दिनांक 05–09–2024

एस0जी0पी0जी0आई0 की एसोसिएट प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 02 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 03 सदस्य जनपद लखनऊ से गिरफ्तार।

दिनांकः 05–09–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को एस0जी0पी0जी0आई0 की एसोसिएट प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करके लगभग 02 करोड़ रूपये की ठगी करने वाले गैंग के 03 सदस्यों को जनपद लखनऊ से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः–

1. हरिप्रिया प्रधान पत्नी भोलेष खमारी नि0 नागेन पल्ली नागेश्वर शिव मंदिर के पास, थाना टाउन, पोस्ट तोरा, जनपद बरगढ़, उड़ीसा।
2. जितेन्द्र कुमार यादव पुत्र दशरथ लाल यादव नि0 83 सी/10 जेड ब्रिघू मार्ग, छोटा बघाड़ा, थाना कर्नलगंज, जनपद प्रयागराज।
3. हितेश उर्फ ज्ञानचन्द्र पुत्र नगीना राम नि0 सोफीपुर जबानिया, थाना भुड़कुड़ा, जनपद गाजीपुर।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से सोशल मीडिया के माध्यम से कॉल करके स्वयं को पुलिस/ई0डी0/सी0बी0आई0 आदि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बताकर लोगो को डरा–धमकाकर ठगी करने वाले सगंठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री दीपक कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के निर्देशन मे टीम गठित द्वारा अभिसचूना सकंलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

विगत दिनों एस0पी0जी0आई0 लखनऊ की एसोसिएट प्रोफेसर के मोबाइल पर किसी अज्ञात नम्बर से काल आया। जिस पर उनके द्वारा काल रिसीव करने पर कालर द्वारा स्वयं को सी0बी0आई0 मुम्बई का पुलिस अधिकारी बताकर कहा गया कि मनी लाड्रिंग का केस हुआ जिसमें आपके खाते का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह बात करके उनको प्रभाव मे लेते हुए बैंक व उनकी सारी डिटेल प्राप्त कर लिया गया। जिसके उपरान्त लगभग 05 दिन से अधिक समय तक उन्हें डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया एवं उनके खाते से लगभग 02 करोड़ से अधिक का पैसा अपने खाते में ट्रान्सफर कर लिया गया। जब इनको इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी की घटना हो गयी है तब इनके द्वारा थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में मु0अ0सं0 132/2024 धारा 319(2), 318(2), 338, 336, 340, 61(1)अ बी0एन0एस0 व 66डी आई0एक्ट0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

अभिसचूना सकंलन के क्रम में तकनीकी विशेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सचूना प्राप्त हुई कि स्वयं को पुलिस अधिकारी/ सी0बी0आई0 अधिकारी बनकर ठगी करने वाले गिरोह के कुछ सदस्य इकाना स्टेडियम के पास मौजूद हैं, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़े जा सकते हैं। इस सचूना पर उ0नि0 श्री तेजबहादुर सिहं के नेतृत्व में मु0आ0 कृष्ण कान्त शुक्ला, मु0आ0 सुनील यादव की टीम द्वारा उक्त स्थान पर पहुॅच कर 03 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जिनके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पछूताछ में बताया कि हम लोगों का एक गिरोह है, जो लोगों के मोबाईल नम्बरों पर काल करके खुद को पुलिस/सीबीआई अधिकारी बताकर किसी न किसी बहाने से डराते–धमकाते है और उनकी व्यक्तिगत जानकारी लेकर उनके खाते से रूपये लेकर हम खुद से अरेंज करे हुए अलग– अलग लोगों के खातों में रूपये ट्रांस्फर करके उन रूपयों से हम लोग बायनेन्स ऐप पर P2P के माध्यम से Third Person के खातों में रूपये ट्रांसफर कर USDT की ट्रेडिंग करते है। जिससे यह लोग USDT आनलाइन खरीद कर आनलाइन ही बेच देते हैं। यदि उस USDT को थर्ड पार्टी के माध्यम से बेचते हैं, तो उसके अच्छे दाम मिल जाते हैं। जिस कारण यह लोग अधिकतर थर्ड पार्टी ही USDT बचेते हैं। इस काम में यह लोग किसी न किसी से फ्राड करके लिए हुए पैसे से ही ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए यह लोग अपना एकाउण्ट इस्तेमाल न करक अलग–अलग लोगों को प्रलोभन देकर उनसे खाता खुलवाते है और उस खाते की किट (एटीएम, पासबुक, चेकबुक, रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर) अपने पास रख लेते हैं। जिससे कि ओ0टी0पी0 व अन्य वेयरिफिकेशन में कोई समस्या न आय और पैसा आसानी से निकाला जा सके।

अभियुक्तों द्वारा बताये गये बैंक खाते, वालेट आदि की जानकारी व गिरोह के अन्य सदस्यो की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

अभियुक्तों से बरामद इलेक्ट्रानिक उपकरणों का फारेसिक परीक्षण कराया जोयेगा। उपराक्त गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना साइबर क्राइम, लखनऊ में पजीकृत मु0अ0सं0 132/2024 धारा 319(2), 318(2), 338, 336, 340, 61(1)अ बी0एन0एस0 व 66डी आई0एक्ट0 में दाखिल किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।